

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाराँ जिला-बाराँ

आज्ञा--पत्र

उपनाम

बबलू चौधरी




वनाम

राजेश कुमार चौधरी

किस्म मुकदमा 88, 89, 90, 92A 53, 188 मि.नं०

7/15

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज	नम्बर व ता० अहकाम जो इस हुकम की तामीर में जारी हुए
30/15	<p>राजेश कुमार चौधरी द्वारा वद पत्रा केतगीत द्वारा 88, 89, 90, 92A 53 व 188 RTA विरुद्ध अपाधीगीतों के इस न्यायालय में प्रेष किया गया रिपोर्ट संदिग्धता का अनु लोकर डिप्टी प्रभूप दप रजिस्टर की मी जावे तथा अपाधीगीत को तलवी समत जारी कर पीवजी दिनांक 31/3/2015 का प्रेष हो।</p> <p style="text-align: center;">  उप खण्ड अधिकारी बाराँ </p> <p>6/5/15 गैरवासीन अधिकारी... कार्य में रहने से पूर्ववत दिनांक 22/5/15 तक प्रस्तुत हो।</p> <p style="text-align: center;">  उप खण्ड अधिकारी, बाराँ </p> <p>राजस्व लोक अदालत / जोर्डे कैंप के लिए पत्रावली में दिनांक 22/5/15 तक आती है। लोक अदालत / जोर्डे कैंप में नहीं होने की वजह से पत्रावली दिनांक 22/5/15 को न्यायालय में प्रेष हो।</p> <p style="text-align: center;">  आज्ञा से उप खण्ड अधिकारी, बाराँ </p>	

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

पत्रावली आज पेना हुई। वल्लुल्लाम फरीदैन उण०।
 LR प्र.पत्र के समय चाहे की प्रव के पर्वा
 आज तक दिया जा चुका के 200। cost पर
 अन्तिम आज तक दिया जाकर पत्रावली जारी
 LR प्र.पत्र दिनांक 13-11-24 है। पेना है।
 आदेश के अनुसार आज तक देय नहीं होगा।

13-11-24

पत्रावली आज पेना हुई। वल्लुल्लाम फरीदैन उण०। LR प्र.पत्र
 के समय चाहे की प्रव के 200। cost पर अन्तिम
 आज तक दिया जा चुका के न्यायदित के एल अन्तिम
 आज तक दिया जाकर पत्रावली जारी LR प्र.पत्र
 दिनांक 20-12-24 है। पेना है। आदेश के
 अनुसार देय नहीं होगा।

No 7

20-12-24

पत्रावली पेना हुई। वरील्ल वादी एवं वरील्ल उरीवादी
 उण० नहीं। वरील्ल वादी एवं वरील्ल उरीवादी के
 तीन बार आवान करावारी गई। कालसूद प्रचना
 के वरील्ल वादी एवं वरील्ल उरीवादी - मायालय
 के उण० नहीं। वादी का वाद अदम हाजरी अदम
 पत्रावली के तबसेज लिखा जाता है। पत्रावली के तबसे
 मुआद होकर बाद तबसे तबसे के वासिले
 देय है।